रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225454
CG-DL-E-25022021-225454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/फाल्गुन 4, 1942
No. 92] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/PHALGUNA 4, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 133(अ).—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक एवं तार विभाग (मोटर, जीप, लॉरी तथा स्टाफ कार चालक) भर्ती नियमावली,1983 का अधिक्रमण करते हुए डाक विभाग (मुख्यालय), संचार मंत्रालय तथा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-।), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-।।) तथा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, डाक विभागके अंतर्गत डाक विभाग (मुख्यालय), संचार मंत्रालय तथा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए) में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-।), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-।।) तथा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)भर्ती नियम, 2021 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	*04 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)	लागू नहीं होता	**18 से 27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के**	अनिवार्य : (i) हल्के एवं भारी मोटर वाहनों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहनों की	लागू नहीं	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजन के मामले में 2 वर्ष

					उम्मीदवारों तथा विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है) **टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल एवं स्पीती जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के**	छोटी-मोटी खराबी को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) कम से कम 3 वर्षों का मोटर कार चलाने का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय :- होम गार्ड अथवा सिविल सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि		

					लिए विहित की गई है)	उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति :सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है**
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिक : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : डाक विभाग में डिस्पैच राइडर (समूह ग) तथा वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में कार्यरत समूह ग के ऐसे कर्मचारी जिनके पास मोटर वाहन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले पदधारियों या वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) के नियमित समूह ग कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे: निदेशक (प्रशासन) – अध्यक्ष; (ii) सहायक महानिदेशक (प्रशासन) – सदस्य; iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सहायक महानिदेशक	लागू नहीं।

	वर्ष से अधिक नहीं होगी।	स्तर के अधिकारी– सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. स्टाफ कार चालक ग्रेड।।	*03 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 (25,500-81,100 रु.)	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10	11	12	13
पदोन्नति	पदोन्नति : वेतन मेट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) निदेशक (प्रशासन) – अध्यक्ष; (ii) सहायक महानिदेशक (प्रशासन) – सदस्य; (iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सहायक महानिदेशक स्तर के अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. स्टाफ कार चालक ग्रेड ।	04* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रु.)	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10	11	12	13
पदोन्नति	पदोन्नति : वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए), जिसमें	लागू नहीं।

	ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा स्टाफ कार चालक श्रेणी-।। और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो; तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।	निम्नलिखित होंगे : (i) निदेशक (प्रशासन) – अध्यक्ष; (ii) सहायक महानिदेशक (प्रशासन) – सदस्य; (iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सहायक महानिदेशक स्तर के अधिकारी – सदस्य	

[फा. सं. एडी-13/4/2019-प्रशा.]

सुशील भूषण, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2021

G.S.R. 133(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Posts and telegraphs Department (Motor, Jeep, Lorry and Staff Car drivers) Recruitment Rules, 1983,the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade)in Department of Posts(Headquarters.), Ministry of Communications and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA), namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called Ministry of Communications, Department of Posts,Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), in Department of Posts (Headquarters.) and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA**),** Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, their classification and level in the Pay matrix**.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.-** The Method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

   (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

   or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage andthat there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Ex- Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Ordinary grade).	04*(2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for candidates belonging to Scheduled Cast or tribes or Other Backward Castes and for Government servants of different categories in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba	Essential: (i) Possession of a valid driving license for light and heavy motor vehicles; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years.; and (iv) Pass in 10th standard. Desirable: 3 years' service as home guard or Civil Volunteers. Note 1:The qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any	Not applicable.	Two years for direct recruits or re- employed.

District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, Union Territory of Ladakh, Union Territory of Jammu and Kashmir.	stage of selection the Competent Authorityis of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment bydeputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in **level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)** in Department of Postswho possess valid Driving License for Motor Cars failing which from official holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in **level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)**in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another e-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or	Group 'C' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation cases) consisting of :- (i) Director Administration) –Chairman; (ii) Assistant Director General (Administration) –Member; (iii) Assistant Director General level officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe –Member.	Not applicable.

	some other organisation/ Departmental of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation / absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver Grade II.	03* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level -2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with 9 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotional committee (for considering promotion) Consisting of:- (i) Director (Administration) – Chairman; (ii) Assistant Director General (Administration.) – Member; (iii) Assistant Director General level officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver Grade I.	04* (2021) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion.	Promotion Staff Car Driver Grade – II in Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with 6 years of regular service in the Grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade –II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotional committee (for considering promotion) Consisting of:- (i) Director (Administration) – Chairman; (ii) Assistant Director General (Administration) – Member; (iii) Assistant Director General level officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe – Member.	Not applicable.

[F. No. AD-13/4/2019-Admn.]

SUSHIL BHUSHAN,Assistant Director General (Admin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.25 18:25:51 +05'30'